न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यक्षित

संख्या 80 / 2022
प्रस्तुति दिनांक 11.04.2022
निर्णय दिनांक 06.09.2024

सीता देवी पत्नि बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीया

बनाम

1. गोपाल पुत्र भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. दुर्गा पुत्र भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. सीताराम पुत्र भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. हनुमान पुत्र भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. तहसीलदार पीपलू
6. उप पंजीयक पीपलू जिला टोंक
7. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीपलू जरिये शाखा प्रबंधक
8. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा निवाई जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीया श्री ओमप्रकाश यादव
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 04 श्री नन्दकिशोर शर्मा
श्री हेमराज गुर्जर एड0

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए रा0का0अधि0

निर्णय

पत्रावली बाबत निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा एक वाद उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी खसरा 1060 रकबा [illegible] हैक्टर (या 10 बीघा) वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो [illegible] वादीया ने 13,700 रूपये प्रतिबीघा [illegible] उक्त भूमि को वादीया ने [illegible] प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रही है। [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 से उनकी [illegible] दिनांक 23.07.2004 को प्रतिवादी [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] कर जरिये [illegible] तब से वादीया अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर [illegible] कर कब्जा प्राप्त किया था। [illegible] खरीद के समय गोपाल व हनुमान को [illegible] भूरा से खरीद [illegible] की गई उक्त भूमि खरीद [illegible] वादीया द्वारा खरीद [illegible] आ रही है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

टोंक जिला सहकारी भूमि ... के रहन होने के कारण खरीद शुदा भूमि
रिकॉर्ड में अमल नही हो सका तथा प्रतिवादीगण ने वादीया को विश्वास दिलाया की हम हमारे हिस्से को मुक्त करवा लेगे ओर आपके हक में किये गये विक्रय पत्र का नामान्तकरण का अमल करवा देगे। इस कारण प्रतिवादीगण के विश्वास में रह गई। प्रतिवादीगण ने वादीया को धोखे मे रखकर उक्त भूमि को चुपचाप मुक्त करवाकर अन्य बैक से ऋण प्राप्त कर बैंक के रहन रख दिया। जिसके कारण वादीया की क्रयशुदा भूमि अंकन वादीया के हक मे नही हो पा रहा है। वादीया ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया की उक्त भूमि रहन मुक्त करवा देवे। जिससे वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो सके। लेकिन प्रतिवादीगण वादीया उसके हको से वंचित करने के उद्देश्य से उक्त भूमि को रहन मुक्त नही करवा रहे है। उक्त भूमि वादीया की शुदा भूमि है। जिस पर वादीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादीया उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त भूमि को रहन, दान, करने व वादीया के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत करने पर आमादा है। तत्कालीन खातेदार विक्रेता ... 05 मनभर पत्नि सूजा की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान् प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ही है। अतः ... बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 बाबत् उदघोषणा पारित फरमायी जाकर वादपत्र के ... संख्या 01 में वर्णित आराजीयात ख0न0 1060 रकबा 0.1265 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा ... पीपलू जिला टोंक का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ओर राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का अंकन करवाया जावे। साथ ही डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित ...यी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द फरमाया जावे की स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात को रहन, दान, बेचान नही करे तथा वादीया कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि के उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 04 की और अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा व इकबाली दावा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त ...त आराजीयात वाके ग्राम हरिपुरा में स्थित होना स्वीकार है। वादपत्र के चरण संख्या 02, 03, 04, 05, 06 ...कार है। वादपत्र का चरण संख्या 07, 08 व 10 ता 15 कानूनी होने से उतर की आवश्यकता नही है। वादीया ... बेचान की गई भूमि की जगह पर हम प्रतिवादीगण की अन्य भूमि पर अधिभार दर्ज करते हुए वादीया का वाद ...क्री कर दिया जावे। इसमें हमे कोई उज्र व आपत्ति नही है। अतः इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है ... वादपत्र के चरण संख्या 01 में अंकित भूमि वाके ग्राम हरिपुरा में वादीया को विक्रय किये गये हिस्से अनुसार ...तेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे। जिसमे हमारी पूर्ण सहमति है।

बहस अधिवक्ता वादीया सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। ...नी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 1060 रकबा 0.1265 हैक्ट. (00–10 बीघा) वाके ग्राम हरिपुरा, ...वार हल्का हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रविवादीगण के नाम दर्ज हो

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

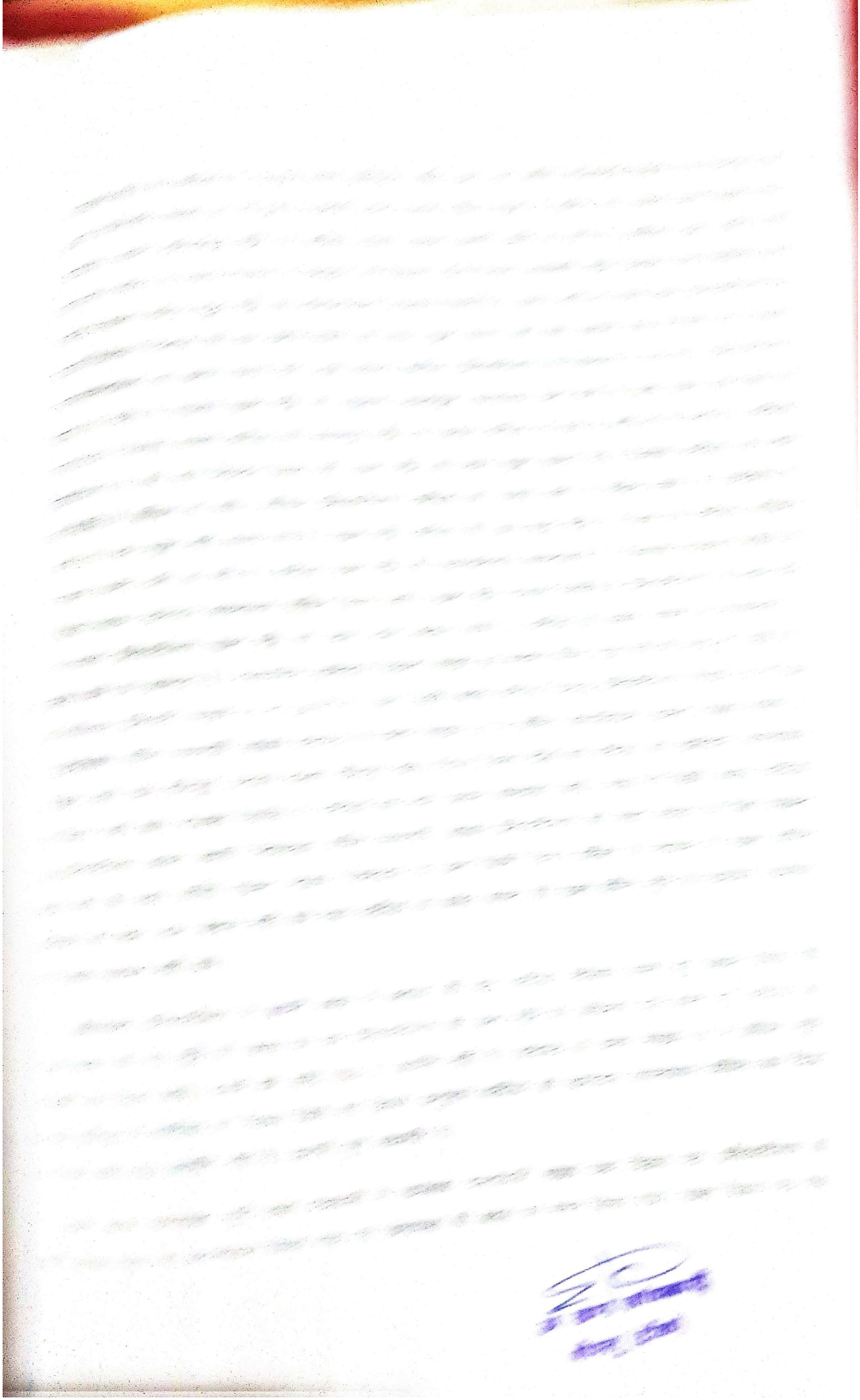

Scanned with ACE Scanner

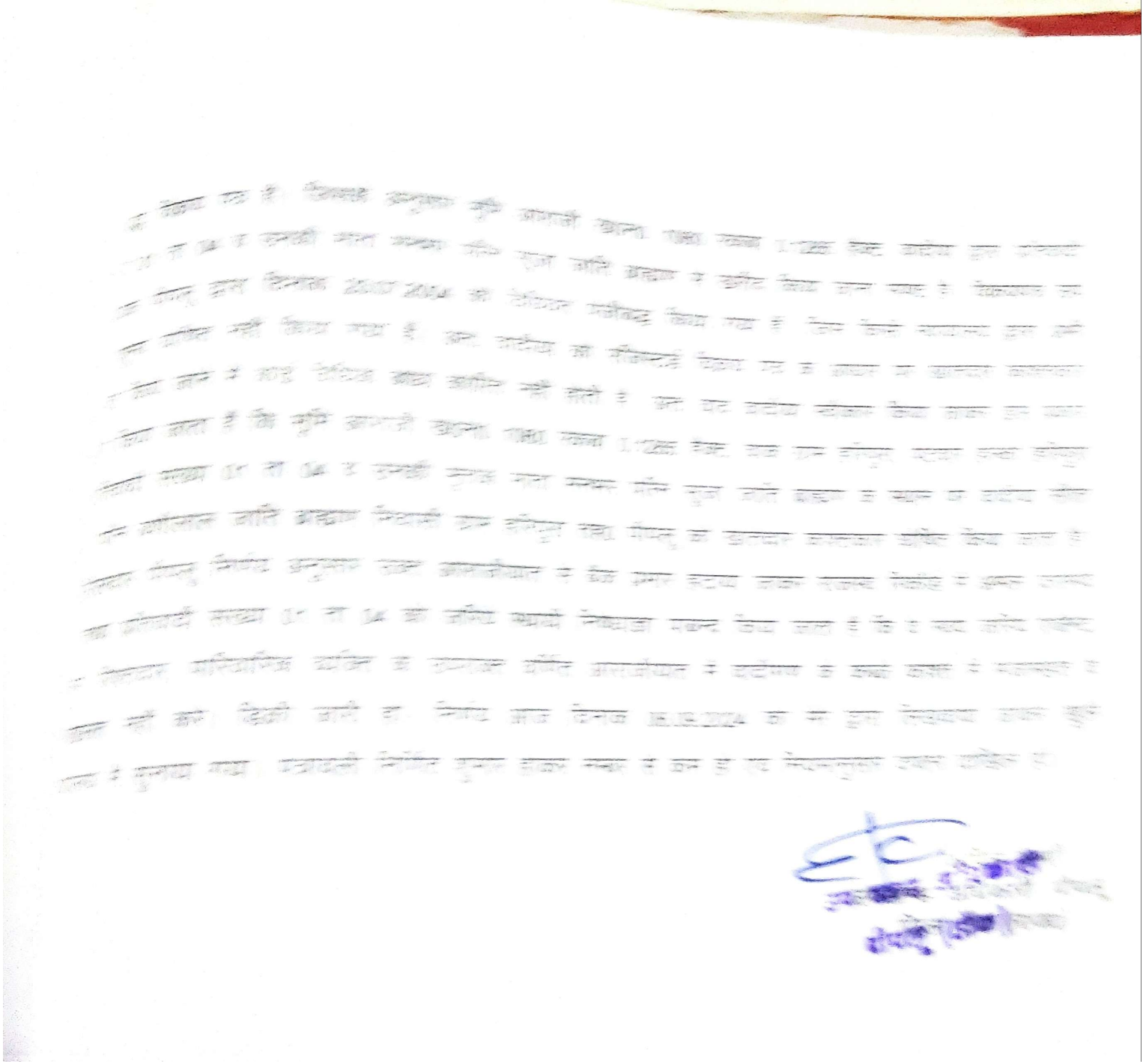

Scanned with ACE Scanner